

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

कमांक 131

दिनांक 02/5/2024


श्रीमान् उप वन संरक्षक महोदय,
जिला-बारां।

विषय :- ढिकोनिया से तलावड़ा सड़क निर्माण की EDS का जवाब प्रस्तुत करने बाबत्।
प्रस्ताव सं:- FP/RJ/ROAD/6999/2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव की EDS का जवाब इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय



(हरि प्रसाद मीना)


अधिशाषी अभियन्ता

सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद

दिनांक 02/05/2024

कमांक 131

प्रतिलिपि :- श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा. नि. वि. वृत्त बारां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


7/5/24



अधिशाषी अभियन्ता

सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद

Ha'

0/2

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

कमांक 694

दिनांक 8/9/2023

श्रीमान् उपवन संरक्षक,
बारां।

विषय:- नेहरूपुरा से डिरी तक सड़क के निर्माण हेतु 3.2 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु।

प्रस्ताव सं.- F/P/RJ/Road/6956/2014

प्रसंग:- श्रीमान् का पत्रांक एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/5130 दिनांक 11.04.2023 एवं सैद्धांतिक स्वीकृति कमांक 8वी/राज०/06/13/2015/एफ.सी./224 दिनांक 04.08.2016 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित से सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

क्र.सं.		
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 3.2 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 7.50 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये-4,13,280/- (3.2 है० X Rs. 1,29,150 प्रति है०) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 3.2 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु श्रीमान् उपवन संरक्षक बारां के पत्रांक 5130 दिनांक 11.04.2023 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वेज परिवर्तित होने के कारण राशि 3.20 है० X 198000/- की दर से राशि 633600/- रु. कैम्पा मद में दिनांक 05.09.2023 में चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 3.20 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई है। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
3.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है.) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	डिजिटल मानचित्र (103.4 है.) को वन विभाग में जमा करा दिया गया है। (प्रति संलग्न)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये-20.032 लाख (3.2 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) जमा की जाएगी। इसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक/आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का	शर्त सं. 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये-20.032 लाख (3.2 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) थी, परन्तु श्रीमान् उपवन संरक्षक बारां के पत्रांक 5130 दिनांक 11.04.2023 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा NPV की दर परिवर्तित होने के कारण राशि 3.2 है० X 957780/- की दर से राशि 3064896/- रु. कैम्पा मद में दिनांक 05.09.2023 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।

	मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी., क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	
5.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6.	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा यह सीमांकन 4" फीट उंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक, डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	यह सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगा कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक-16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	सा.नि.वि. यह वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करता है कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक-16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में विभाग स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण करेगा तथा इस सड़क में Median नहीं है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
10.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012 - एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णय दिनांक 07.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।	बिन्दु संख्या 9 श्रीमान् उपवन संरक्षक बारां के पत्रांक 5130 दिनांक 11.04.2023 के क्रम में दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करा दिया गया है। (प्रति संलग्न) 1. दैनिक भास्कर दिनांक 26.07.2023 2. द टाइम्स ऑफ इंडिया 07.09.2023

भवदीय



(हरि प्रसाद मीना)

अधिकाधी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 694

दिनांक 8/9/2023

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- नेहरूपुरा से झिरी तक सड़क का निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :- FP/RJ/Road/6956/2014

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 एवं 2 की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

21431

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 694

दिनांक 8/9/2023

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- नेहरूपुरा से झिरी तक सड़क का निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :- FP/RJ/Road/6956/2014

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 694


दिनांक 8/9/2023

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- नेहरूपुरा से झिरी तक सड़क का निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :- FP/RJ/Road/6956/2014

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलक पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

कमांक 694


दिनांक 8/9/2023

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- नेहरूपुरा से झिरी तक सड़क का निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :- FP/RJ/Road/6956/2014

प्रमाणित किया जाता है कि नेहरूपुरा से झिरी सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

कमांक 694


दिनांक 8/9/2023

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- नेहरूपुरा से झिरी तक सड़क का निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :- FP/RJ/Road/6956/2014

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Tr. No 31431
05-09-2023

Reference No : 47669315

Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Month/Year : Aug/2023

Department Code : 65 Department Name : Public Works Department

Detailed Wam bill of Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD (Dist. BARAN) 18436

OfficeID : 18436

Bill For Works Payment WAM Payment

Reference No : 3736144

Wam Reference No : #3/3 of 782079

Division Name : PWD SHAHBAD

Division Code : 120

Bill No : 47669315

Date : 25/08/2023

Demand No : 30

DDOCODE : 18436

TAN : JDH001436B

Object Head : 74

Budget Head : 5054-04-796-07-00/SF/V

SI : 0.00 NonPlan : 0.00

NA : 0.00

ContingencyHead :

To: The Treasury/Sub Treasury Officer, SHAHBAD

Please Order to pay ₹ 480805 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk

(Signature)
बडीय सखाकार

(Signature)
अधिसावी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई डी कोड नं०-18436

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limites of online allotted budget/LC

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Seal)/e-Sign/Digital ESign of DDO

9414286802

(Signature)
अधिसावी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई डी कोड नं०-18436

Sl. No	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Division Amt
1	Rajasthan Campa 1 Bengaluru 9414286802	UNION BANK OF INDIA 150856169560818 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	543309.00 480805.00	3736144	2059-80-001-04-01 38464.00 2059-80-052-04-01 9616.00 3054-03-337-01-03 14424.00

Gross Amount Rs. 543309.00 B.T.Amount: Rs. 62504.00 Net Amount:Rs. 480805.00

Amount in Words : FOUR LAKH EIGHTY THOUSAND EIGHT HUNDRED FIVE Only

Sign Of DDO with Seal/e-Sign/Digital ESign of DDO

For Accountant General Office

Treasury Voucher

Admitted ₹
Objected ₹

No: _____
Pay ₹ : 543309.00
Date: _____
(In Words) : FIVE LAKH FOURTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED NINE ONLY
B.T. Heads : 62504.00
Total : 62504.00Only
(In Cash) ₹ : 480805.00
(In Words) : FOUR LAKH EIGHTY THOUSAND EIGHT HUNDRED FIVE ONLY

(Signature)
अधिसावी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई डी कोड नं०-18436

Auditor Supdt Gaz. Officer Auditor AAO-I/II Treasury/Sub Treasury Officer ESign

TV. NO. _____

Reference No : 47669313

Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Month/Year : Aug/2023

Department Code : 65 Department Name : Public Works Department

Detailed Wam bill of : Ex. En. P W D. Div. SHAHBAD (Dist.BARANJ18436)

OfficeID : 18436

Bill For Works Payment : WAM Payment

Reference No : 3736142

Wam Reference No : #1/3 of 782079

Division Name : PWD SHAHBAD

Division Code : 120

Bill No : 47669313

Date : 25/08/2023

Demand No : 44

DDOCode : 18436

TAN : JDHO01436B

Object Head : 74

Budget Head : 5054-04-800-02-01/SFV

SF : 0.00 NonPlan : 0.00

NA : 0.00

ContingencyHead :

To, The Treasury/Sub Treasury Officer, SHAHBAD

Please Order to pay ₹ 2588947 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk

[Signature]
खडीय सखाकार
Sign of DA

[Signature]
अधिकाशी अधियन्ता
सर्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई० डी० कोड नं० - 18436
Sign of Divisional Officer

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimant is entitled to in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limits of the available budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Seal)/e-Sign/Digital E-Sign of DDO

[Signature]
अधिकाशी अधियन्ता
सर्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई० डी० कोड नं० - 18436
Budget Head Reduction Amt

Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head
1	Rajasthan Campa 1 Bengaluru 9414286802	UNION BANK OF INDIA 150856169560818 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/11/1900 12:00:00 AM	2925510.00 2588947.00	3736142	2059-80-001-04-01 207116.00 2059-80-052-04-01 51779.00 3054-03-337-01-03 77668.00

Gross Amount Rs. 2925510.00

B.T.Amount: Rs. 336563.00

Net Amount:Rs. 2588947.00

Amount In Words : TWENTY FIVE LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED FOURTY SEVEN Only

Sign Of DDO with Seal/e-Sign/Digital E-Sign of DDO

[Signature]
अधिकाशी अधियन्ता
सर्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई० डी० कोड नं० - 18436

For Accountant General Office

Treasury Voucher No. _____

Admitted ₹
Objected ₹

Pay ₹ : 2925510.00

(In Words) : TWENTY NINE LAKH TWENTY FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED TEN ONLY

B.T. Heads : 336563.00

Total : 336563.00Only

(In Cash) ₹ : 2588947.00

(In Words) : TWENTY FIVE LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED FOURTY SEVEN ONLY

Auditor

Supdt

Gaz. Officer

Auditor

AAO-I/II

Treasury/Sub Treasury Officer E-Sign

TV. No 31610
06-09-2023

Reference No :47669314

Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Month/Year : Aug/2023

Department Code 65 Department Name : Public Works Department

Detailed Wam bill of Ex. En P.W.D. Div. SHAHBAD (Dist.BARAN]18436)

OfficeID : 18436

Bill For Works Payment : WAM Payment

Reference No : 3736143

Wam Reference No : #2/3 of 782079

Division Name : PWD SHAHBAD

Division Code : 120

Bill No : 47669314

Date : 25/08/2023

Demand No : 51

DDOCode : 18436

TAN : JDHO01436B

Object Head : 74

Budget Head : 5054-04-789-05-00/SF/V

SF : 0.00 NonPlan : 0.00

NA : 0.00

ContingencyHead :

To,

The Treasury/Sub Treasury Officer, SHAHBAD

Please Order to pay ₹ 628744 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk

Sign of DA
खडीय लवाकार

Sign of Provisional Officer
अधिसापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with the rules and the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limits of on the allotted budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Seal)/e-Sign/Digital ESign of DDO

941428680

Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Reduction Amt
1	Rajasthan Campa 1 Bengaluru 9414286802	UNION BANK OF INDIA 150856169560818 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	710481.00 628744.00	3736143	2059-80-001-04-01 50300.00 2059-80-052-04-01 12575.00 3054-03-337-01-03 18862.00

Gross Amount Rs. 710481.00

B.T.Amount: Rs. 81737.00

Net Amount:Rs. 628744.00

Amount In Words : SIX LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND SEVEN HUNDRED FOURTY FOUR Only

Sign Of DDO with Seal/e-Sign/Digital ESign of DDO

अधिसापी अभियन्ता

For Accountant General Office

Treasury Voucher सार्वजनिक निर्माण विभाग

Admitted ₹
Objected ₹

No:
Pay ₹ : 710481.00

(In Words) : SEVEN LAKH TEN THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY ONE ONLY

B.T. Heads : 81737.00

Total : 81737.00Only
(In Cash) ₹ : 628744.00
(In Words) : SIX LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND SEVEN HUNDRED FOURTY FOUR ONLY

Auditor Supdt Gaz.Officer Auditor AAO-I/II Treasury/Sub Treasury Officer ESign

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

Bill No. & Date:

PayManager Ref. Id(s): 3736142, 3736143, 3736144

BillRef No.: 1217, Dated: 25/08/2023

Division Name: Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD
(Dist.BARAN)

Division Code: 18436

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: Nahroopura to Jhiri, Nahroopura to Jhiri, Nahroopura to Jhiri

Vendor Name: Rajasthan Campa 1

Sanction/Autorization/BillNo: 6169560818 Dated: 25/08/2023

Reason: N/a

Bank AccountNo.- 150856169560818

Bank IFSC Code: UBIN0996335

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 36,98,496

(In Words):Rupees Thirty Six Lakh Ninety Eight Thousand Four Hundreds Ninety Six Only

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	5054-04-800-02-01-74-V-P	2588947	WorkId: 152660
2	5054-04-789-05-00-74-V-P	628744	WorkId: 152660
3	5054-04-796-07-00-74-V-P	480805	WorkId: 152660

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
-------	-----------	--------	---------

This Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3736142	5054-04-800-02-01-74-V-P		2588947	WorkId: 152660
	Payment Through Treasury	2588947		
	5054-04-800-02-01-74-V-P		336563	Prorata WorkId: 152660
	2059-80-001-04-01-98-V-P	207116		Prorata
	2059-80-052-04-01-98-V-P	51779		Prorata
	3054-03-337-01-03-98-V-P	77668		Prorata
3736143	5054-04-789-05-00-74-V-P		628744	WorkId: 152660
	Payment Through Treasury	628744		
	5054-04-789-05-00-74-V-P		81737	Prorata WorkId: 152660
	2059-80-001-04-01-98-V-P	50300		Prorata
	2059-80-052-04-01-98-V-P	12575		Prorata
	3054-03-337-01-03-98-V-P	18862		Prorata
3736144	5054-04-796-07-00-74-V-P		480805	WorkId: 152660
	Payment Through Treasury	480805		
	5054-04-796-07-00-74-V-P		62504	Prorata WorkId: 152660

3736144 2059-80-001-04-01-98-V-P
2059-80-052-04-01-98-V-P
3054-03-337-01-03-98-V-P

38464
9616
14424

Prorata
Prorata
Prorata

Net Amount Payable In Figures: **36,98,496**


Net Amount Payable In Words **Rupees Thirty Six Lakh Ninety Eight Thousand Four Hundreds Ninety Six Only**


Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:


For use in Divisional Office


Signature of DA with seal
डा. नि. बि. खण्ड शाहाबाद


अधिशायी अभियन्ता
Signature of Divisional Officer with seal
खण्ड - शाहाबाद
आई० डी० कोड नं०-18436

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-08-2023

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169560818
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/13/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin-325217Baran
Amount(In Rs)	3698496/-

Amount in Words :Thirty-Six Lakh Ninety-Eight Thousand Four Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856169560818 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-08-2023

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169560818
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/13/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin-325217 Baran
Amount(In Rs)	3698496/-

Amount in Words :Thirty-Six Lakh Ninety-Eight Thousand Four Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856169560818 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Passed for Rs. 3698496/- only.

[Rs. Thirty six lacs ninety eight thousands four hundred ninety six only]

अधिसाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई० सी० कोड नं०-18436


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद

क्रमांक : 624

दिनांक : 25/08/2023

कार्यालय आदेश

इस खण्ड कार्यालय द्वारा Rajasthan Campa 1 के बिल प्राप्त संख्या 6169560818 दिनांक 25.08.2023 राशि रू. 3698496.00 को बजट मद 5054-04-800-02-01-74, 5054-04-789-05-00-74 and 5054-04-796-07-00-74 VP के Nahroopura to Jhiri की स्वीकृति में वन विभाग Clearance के तहत भारत कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

दिनांक : 25/08/2023

क्रमांक : 624

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

1. उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय शाहाबाद ।
2. रक्षित पत्रावली ।



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय जिला कलक्टर, बारा (राजस्थान)

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 2014-2015

दिनांक:- फरवरी, 2017

आदेश :-

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारा द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारा के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आवेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/8814-20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपाट) की गई है।

उप वन संरक्षक, बारा द्वारा पत्र क्रमांक एफ()एफ.सी.ए./उपस/14-15 /16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 8528-29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(286)राज.-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	रकबा (है०)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बजड
			41	5.00	बजड
			42	6.52	बजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.58	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बजड
			133	10.81	बजड
			149	3.63	बजड
2	सोरसन	कित्त	8 कित्त	62.24	गैर मुमकिन बरडा
			1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			1173	19.15	गैर मुमकिन बरडा
			2 कित्त	38.91	गैर मुमकिन बरडा
3	ताखा	कुल योग	368	2.25	गैर मुमकिन बरडा
			11 कित्त	103.40 है०	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारा

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 2014-2015 दिनांक:- फरवरी, 2017
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारा।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर देना है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारा।
7. रक्षित पत्रावली।




जिला कलक्टर
बारा

हरि प्रसाद मीना
अधिशापी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड-शाहाबाद

Land to be allotted to Forest Department

21/09/15
15/9

PWD circle Baran

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectare)	Remark
As on 11.09.2014						
Old Cases						
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से भटगांव	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	सामोनी से मोहनपुर योग	2.60	
New Cases						
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिगलोट से मदनाखेड़ी वाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनायदा सडक	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	✓
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से ताटखेडा ✓	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माधोपुरा से जैतपुरा ✓	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	ढिकोनिया से तलायडा ✓	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा रो शिरी ✓	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिची रो रामपुर उपरेटी ✓	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच-76 किमी. 573/0 रो धुआ ✓	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरारा ✓	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसया ✓	4.00	
12	Shahbad	Kishanganj ^{S.B.D} Kishanganj	RIDF-XVII (RSAMB)	कस्बाथाना से बमनगंवा ✓	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से सिलोरा ✓	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा ✓	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाडा से किशानपुरा ✓	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा ✓	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी ✓	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेडा डांग से पाटन ✓	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल ✓	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ रो रनवारी ✓	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवारी से रनवारा ✓	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा रो कालीगाटी ✓	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	सामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा ✓	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह ✓	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली वाया दुर्जनपुरा ✓	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सडक ✓	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर गुण्डियर सडक (रामपुर उपरेटी) रो ईसाटोरी ✓	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

हरि प्रसाद मीना
अधिसापी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड-शाहाबाद

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया	1.02	
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापूरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
हरि प्रसाद मीना
 अधिशाषी अभियन्ता
 सा.नि.वि.खण्ड-शाहाबाद

(सुनिश्चि माधुर)
 प्रतियोग अभियन्ता
 सा०नि०वि० वृत्त बौरा


कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता


प्रमाणित किया जाता है कि विभाजन समस्त परम्परागत जमीनों के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से विभाजन द्वारा 22 वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग को नाम आसीद्धा की गई है।


तहसील अन्ता गांव विलेण्डी की विभाजन अन्तर्गत यर्गित गैर वनभूमि अधिकारी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अधिकार एवं व्यापिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर कोन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	गांव	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1	अन्ता	विलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.80
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
		योग	योग	62.24

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी


1 वनरक्षक  (नारेन्द्र शर्मा (ब.र.))


2 नाका प्रमारी  06/09/17


3 क्षेत्रीय वन अधिकारी 


राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बाराँ


हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी


1 हल्का पटवारी  02/09/17

2 कानूनगो  02/09/17


6/9/17


राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बाराँ


(अशोक सनाद)
अधिसाधी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


हरि प्रसाद मीना
अधिसाधी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद


कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता


प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

उपरोक्त अन्ता ग्राम तारणा की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि का निरीक्षण हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	संस्थान	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1		ताखा	368	2.25
		कुल	1 किता	2.25

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक  (वनेन्द्र शर्मा (क.२.)

2 नाका प्रभारी  06/09/17


3 क्षेत्रीय वन अधिकारी



क्षेत्रीय वन अधिकारी


राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारा

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी  4201/2014
C 19(1)


राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारा

2 कानूनगो  6-9-17
राज्य सरकार


(अशोक सनाद)
अधिसाधी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


हरि प्रसाद मीना
अधिसाधी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला वनोदर नगर द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 हे०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

उपरोक्त अन्ता नाम गोरखन की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि नामों को जंगल हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई औत्सर्गिक एवं व्यापिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह सगरत गैर वनभूमि यूजर एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा मौकों पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	संस्थान	नाम	संख्या नं.	रकबा (हेक्टर)
1		गोरखन	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 किता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

- 1 वनसंरक्षक
- 2 नाका प्रगारी
- 3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

- 1 वनसंरक्षक
- 2 वनभूमि

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारों

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारों

हरि प्रसाद मीना
(अधीनस्थ सहायक)
अधीनस्थ अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद

हरि प्रसाद मीना
अधीनस्थ अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

का नाम :- ताखा

अंतिम चोसला आधार सम्बत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से
स्थायी

वार हल्का :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

अभि.नि. :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 105

जिला :- वाराँ

खाता संख्या पुराना :- 100

काश्तकार का नाम:-

1. उपवन संरक्षक बारां वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए


खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
368	2.2500	जंगलात	2.2500	0.00		
कुल खसरे - 1	2.2500		2.2500			


यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020




(अशोक सनादय)
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


हरि प्रसाद मीना
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड-शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

गा नाम :- गोरगन

अंतिम चोगना आधार मध्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से
स्थायी

वार हन्का :- गोरगन

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

अभि. नि. :- गोरगन

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टर

हमील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 617

जिला :- बारा

खाता संख्या पुराना :- 1

कामचक्र का नाम :-

1. वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खमरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	वृषक द्वारा संदत्त लगान	रिचार्ज के साधन अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1173	19.1500	गैं.मु.जंगल	19.1500	0.00	
1175	19.7600	गैं.मु.जंगल	19.7600	0.00	
1176	2.0000	गैं.मु.जंगल	2.0000	0.00	
1177	18.6600	गैं.मु.बरडा	18.6600	0.00	
1527	26.0000	गैं.मु.जंगल	26.0000	0.00	
1528	32.8500	गैं.मु.जंगल	32.8500	0.00	
1529	31.5000	गैं.मु.जंगल	31.5000	0.00	
1530	17.6000	गैं.मु.जंगल	17.6000	0.00	
1531	21.0000	गैं.मु.जंगल	21.0000	0.00	
1532	20.0000	गैं.मु.जंगल	20.0000	0.00	
1533	15.0000	गैं.मु.जंगल	15.0000	0.00	
1543	12.4900	गैं.मु.जंगल	12.4900	0.00	
1544	11.4500	गैं.मु.जंगल	11.4500	0.00	
1548	24.3600	गैं.मु.जंगल	24.3600	0.00	
1552	20.0000	गैं.मु.जंगल	20.0000	0.00	
1781	15.2600	गैं.मु.जंगल	15.2600	0.00	
1784	6.3100	गैं.मु.जंगल	6.3100	0.00	
1785	9.0000	गैं.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1786	9.0000	गैं.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1787	9.0000	गैं.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1788	9.0000	गैं.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1789	9.0000	गैं.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1790	13.3400	गैं.मु.जंगल	13.3400	0.00	
1791	6.0000	गैं.मु.जंगल	6.0000	0.00	
1795	12.0000	गैं.मु.जंगल	12.0000	0.00	
1796	11.1000	गैं.मु.जंगल	11.1000	0.00	
1796/1968	0.9000	गैं.मु.जंगल	0.9000	0.00	
1797	8.0000	गैं.मु.जंगल	8.0000	0.00	
1798	12.0000	गैं.मु.जंगल	12.0000	0.00	
1799	7.5600	गैं.मु.जंगल	7.5600	0.00	
2136/1524	20.0600	गैं.मु.जंगल	20.0600	0.00	



(अशोक सनाद)
अधिसाधी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


हरि प्रसाद मीना
अधिसाधी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद

525	21.3800	गैं.मु.जंगल	21.3800	0.00
526	16.0600	गैं.मु.जंगल	16.0600	0.00
1176	16.0600	गैं.मु.बरडा	16.0600	0.00
सरे - 34	502.8500		502.8500	

पत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

ग उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

ल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020



(Handwritten signature)
 (प्रशासक संगठन)
 अधिशासी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(Handwritten signature)

हरि प्रसाद मीना
 अधिशासी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

नाम :- बिलेण्डी

अंतिम चोसला आधार सम्बन्ध :- 2076 - 2079 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से
स्थायी

हल्का :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भि.नि. :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

सील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 78

ला :- बाराँ

खाता संख्या पुराना :- 78

अंशकार का नाम :-

1. उप वन सरक्षक बारा वन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए


सरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
14	5.8000	गै.मु.बरडा	5.8000	0.00		
15	9.5800	गै.मु.बरडा	9.5800	0.00		
16	7.7000	गै.मु.बरडा	7.7000	0.00		
38	10.8100	गै.मु.बरडा	10.8100	0.00		
149	3.6300	गै.मु.बरडा	3.6300	0.00		
39	13.2000	गै.मु.बरडा	13.2000	0.00		
41	5.0000	गै.मु.बरडा	5.0000	0.00		
42	6.5200	गै.मु.बरडा	6.5200	0.00		
कुल खसरे - 8	62.2400		62.2400			


यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020




(अशोक सनाद)
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


हरि प्रसाद मीना
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद

Handwritten notes in Hindi: 'नेहरू युवा केंद्र' and 'A1'.

Government of India Ministry of Minority Affairs Public Notice

The Ministry of Minority Affairs in collaboration with CSC e-Governance Services Limited is organizing a special drive to re-verify the applications and verification of State Nodal Officers/District Nodal Officers/Head of Institutes/Institute Nodal Officers and Applicants through Aadhaar based Biometric authentication for the scholarships of Ministry of Minority Affairs for the year 2022-23.

(Under Secretary, Scholarships) SS-15/8/2022-Scholarship-MoMA

CBC 27101/11/0007/2324

Central Electricity Regulatory Commission

Ground Floor, Chandrabhai Building, 28, Jangpura, New Delhi-110007

ADN-120121/2014-CERC Dated: 08th September 2023 FILLING UP OF POST ON DEPUTATION/ SHORT TERM CONTRACT BASIS

Table with 4 columns: S.No, Name of the post, No. of vacancies, Pay Level in Pay Matrix. Includes posts like Deputy Chief (Legal), Integrated Financial Adviser (IFA), Assistant Chief (Engg), etc.

Details of essential qualifications, experience etc. and other terms and conditions of service and format of application are available in the website https://cercind.gov.in

PSFC Punjab State Power Corporation Limited

(Regd. Office: PSEB Head Office, Mail, Patiala-147001) Corporate Identity Number: U40100PB2018010011913

E-Tender No. 482P-1/EMP/W-12404 dated 05.09.23

Chief Engineer/Headquarter (Procurement Cell-1) GG55TP, Procurement In-charge E-Tender ID No. 2023 POWER/100971, for the work of Routine Cleaning of Tower & Antenna of 220KV and 132KV and 110KV area including towers and cleaning of surge line at GG55TP, Psoar.

For detailed NIT & Tender Specification please refer to https://psfcpsc.punjab.gov.in from 08.09.2023 09:00 PM onwards.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office (Central Region)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office (Central Region) Khandra Bhamra, 5th Floor, Sector-8, Okhla, Lucknow-226024

Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Integrated Regional Office, Gandhinagar

Online Proposal No: FPR/JROAD/244482/2023 Dated: 13/07/2023

Subject: Proposal for non-forestry use of 4.758 ha of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of M/s Ministry of Road Transport & Highways for Nagaur Territorial Division in NAGOUR Forest Division, District (RAJASTHAN) - reg.

I am directed to refer to the online proposal no. FPR/JROAD/244482/2023 dated 01/04/2023 on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Central Government under Rule 4 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and the proposal is approved in principle.

1. General Conditions

Table with 2 columns: Sr.No, Conditions. Lists 23 conditions regarding forest land diversion, including legal status, survey, NPV, and environmental clearance.

2. Standard conditions

Table with 2 columns: Sr.No, Conditions. Lists 3 conditions regarding strip plantation, dumping sites, and culverts/bridges.

3. Specific Conditions After receipt of the compliance report on the fulfilment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Government in this regard.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

पारिवाहन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/ Integrated Regional Office, Jaipur

ए-218 & ए-216 'आर्या भवन' जलाना सामाजिक कला, जयपुर-320004 A-218 & A-216, 'Arya Bhawan', Jhalana Institutional Area, Jaipur-320004

दिनांक: 20th फरवरी, 2023

विषय: Diversion of 0.60 ha (0.95 ha) of forest for construction of CHC, in Forest Block - Nechhwa (PF), Village - Nechhwa, Tehsil - Laxmangarh, District-Sikar, Rajasthan - Regd.

संदर्भ: शर्मा अशोक, राजस्थान का चर्करा-ए, (175)शर्मा/2021, जयपुर, दिनांक-01-02-2023

प्रस्ताव: Diversion of 0.60 ha (0.95 ha) of forest for construction of CHC, in Forest Block - Nechhwa (PF), Village - Nechhwa, Tehsil - Laxmangarh, District-Sikar, Rajasthan - Regd.

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

- 1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 6.88 ha forest area to be diverted under this proposal to the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 2021/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. S-119/1995 dated 01.09.2003, as well as order No. S-2/2008-FC dated 03.10.2006 and S-3/2007-FC dated 05.02.2009 and revocation of NPV vide Ministry letter No. S-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.
3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalisation of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer.
6. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission/leave final order. The project authority or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.
7. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited into CAMPA fund only through e-portals.
8. Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:
1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.25 ha degraded forest land. Survey No. 925 & 926 (Old Kharsa No. 528), Village- Nechhwa, Tehsil & Range- Laxmangarh, District-Sikar, Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
4. User agency shall restrict the felling of trees to 26 transmissible numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
5. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
6. The layout plan of this proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
7. No labour camp shall be established on the forest land.
8. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Department Corporation or any other legal source of alternate fuel.
9. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
10. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
11. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
12. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
13. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
14. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.
15. The User Agency shall comply with all the provisions of the All Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
16. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&GC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dated 29.01.2018.
17. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may impose from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
18. The compliance report shall be uploaded on e-portals (https://parivash.nic.in/).

पदवी सचिव (इकाय जयपुर क्षेत्र) व पर्यावरण-वन एवं जलवायु मंत्रालय

पारिवाहन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office (Central Region)

Khandra Bhamra, 5th Floor, Sector-8, Okhla, Lucknow-226024

दिनांक: 06.09.2023

विषय: Proposal for non-forestry use of 4.758 ha of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of M/s Ministry of Road Transport & Highways for Nagaur Territorial Division in NAGOUR Forest Division, District (RAJASTHAN) - reg.

संदर्भ: शर्मा अशोक, राजस्थान का चर्करा-ए, (175)शर्मा/2021, जयपुर, दिनांक-01-02-2023

प्रस्ताव: Diversion of 0.60 ha (0.95 ha) of forest for construction of CHC, in Forest Block - Nechhwa (PF), Village - Nechhwa, Tehsil - Laxmangarh, District-Sikar, Rajasthan - Regd.

संदर्भ: शर्मा अशोक, राजस्थान का चर्करा-ए, (175)शर्मा/2021, जयपुर, दिनांक-01-02-2023

प्रस्ताव: Diversion of 0.60 ha (0.95 ha) of forest for construction of CHC, in Forest Block - Nechhwa (PF), Village - Nechhwa, Tehsil - Laxmangarh, District-Sikar, Rajasthan - Regd.

संदर्भ: शर्मा अशोक, राजस्थान का चर्करा-ए, (175)शर्मा/2021, जयपुर, दिनांक-01-02-2023

प्रस्ताव: Diversion of 0.60 ha (0.95 ha) of forest for construction of CHC, in Forest Block - Nechhwa (PF), Village - Nechhwa, Tehsil - Laxmangarh, District-Sikar, Rajasthan - Regd.

संदर्भ: शर्मा अशोक, राजस्थान का चर्करा-ए, (175)शर्मा/2021, जयपुर, दिनांक-01-02-2023

प्रस्ताव: Diversion of 0.60 ha (0.95 ha) of forest for construction of CHC, in Forest Block - Nechhwa (PF), Village - Nechhwa, Tehsil - Laxmangarh, District-Sikar, Rajasthan - Regd.

संदर्भ: शर्मा अशोक, राजस्थान का चर्करा-ए, (175)शर्मा/2021, जयपुर, दिनांक-01-02-2023

प्रस्ताव: Diversion of 0.60 ha (0.95 ha) of forest for construction of CHC, in Forest Block - Nechhwa (PF), Village - Nechhwa, Tehsil - Laxmangarh, District-Sikar, Rajasthan - Regd.

संदर्भ: शर्मा अशोक, राजस्थान का चर्करा-ए, (175)शर्मा/2021, जयपुर, दिनांक-01-02-2023

पदवी सचिव (इकाय जयपुर क्षेत्र) व पर्यावरण-वन एवं जलवायु मंत्रालय

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2023-24/ 10544

दिनांक 30/11/23

निमित्त:-

संगागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- ग्राम नेहरूपुरा से झीरी रोड 3.20 है० में वन संरक्षण अधिनियम
1980 के उल्लंघन के संबंध में।

संदर्भ:- अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन नोडल अधिकारी एफ.सी ए राज०
जयपुर कार्यालय का पत्र क्रमांक 2747 दिनांक 05.08.2022 के क्रम में।
अधिशिषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड शाहबाद के पत्र क्रमांक 54 दिनांक 29.04.
2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक
54 दिनांक 29.04.2022 से उक्त सड़क को प्रत्याहारित करने हेतु ऑनलाईन निवेदन किया गया है।
इसी क्रम में अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन नोडल अधिकारी एफ.सी ए राज० जयपुर के पत्र
क्रमांक 1982-83 दिनांक 08.06.2022 द्वारा NO Violation report चाही गई थी जिसके क्रम में
क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 8462
दिनांक 20.07.2022 से प्रकरण में ग्रेवल रोड (Violation) होना बताया गया तथा MOEF के पत्र
दिनांक 29 जनवरी 2018 के अनुसार दण्डात्मक राशि 1034402.40 रु जमा कराने हेतु इस कार्यालय
के पत्र क्रमांक 8750 दिनांक 05.09.2023 को यूजर एजेन्सी को डिमान्ड नोट जारी किया गया।

यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 269 दिनांक 30.06.2022 से बताया गया की उक्त कच्चा
कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया है। तत्पश्चात उच्च कार्यालय की बैठक में दिये गये निर्देश
अनुसार प्रकरण में पुनः वर्तमान वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई थी। इस संदर्भ में क्षेत्रीय वन
अधिकारी नाहरगढ एवं सर्वेयर कार्यालय हाजा की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 13.10.2023 के अनुसार
उक्त सड़क पर सैद्धान्तिक रवीकृति दिनांक 04.08.2016 के पश्चात किसी भी एजेन्सी द्वारा किसी
प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। तथा मुगल ईगेज के अनुसार उक्त सड़क माह दिसम्बर
2013 के पूर्व से ही ग्रेवल सड़क के रूप में प्रदर्शित हो रही है।

रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2023-24 / 10545-46 दिनांक 30/11/23

प्रतिलिपि: प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन नोडल अधिकारी एफ.सी ए राज० जयपुर।
2. अधिशिषी अभियन्ता सा० नि० वि० खण्ड शाहबाद।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਿੱਤ੍ਰ



વેલ્લુપ્પા રોડ

10/2013

Image © 2023 CNES / Airbus

Google